भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 163
दिनांक 11 दिसंबर 2025

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति

†*163. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के अंतर्गत बोली लगाने के लिए अधिसूचित केप कोमोरिन के दक्षिण में स्थित अपतटीय क्षेत्रों का ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वाडगे बैंक जैसे मछली पकड़ने के संवेदनशील स्थलों के निकट अन्वेषण कार्यकलापों के संबंध में उठाई गई पारिस्थितिकीय अथवा समुद्र संबंधी चिंताओं की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति' के बारे में संसद सदस्य श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 163 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) तेल और गैस क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू अन्वेषण प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अन्वेषण ब्लॉक आवंटित किए जाते हैं। भारत में तेल और गैस संसाधनों की अत्यधिक क्षमता है, और इस क्षमता का संदोहन दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सरकार इन गतिविधियों से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं और संसाधन विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है।

भारत सरकार ने खुला रकबा अनुज्ञप्ति नीति (ओएएलपी) के दसवें चरण के तहत बोली के लिए (केप कोमोरिन के निकट अपतटीय क्षेत्र) स्थित 9990.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले अन्वेषण ब्लॉक सीवाई-डीडब्ल्यूएचपी-2024/1 को प्रस्तावित किया है। यह अपतटीय गहरे समुद्री क्षेत्र का ब्लॉक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और भारत सरकार के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में आता है। ब्लॉक सीवाई-डीडब्ल्यूएचपी - 2024/1 वाडगे बैंक के साथ-साथ अन्य रिजर्वों के मूल क्षेत्र के सीमांकित क्षेत्र से पूरी तरह बाहर है। तीन अति गहरे समुद्री क्षेत्र के ब्लॉकों (सीवाई-यूडीडब्ल्यूएचपी-2022/1, सीवाई-यूडीडब्ल्यूएचपी-2022/2 तथा सीवाई-यूडीडब्ल्यूएचपी-2022/3, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 9514.63, 9844.72 तथा 7795.45 वर्ग किलोमीटर है) को पहले ओएएलपी-IX दौर की बोली के माध्यम से ओएनजीसी को प्रदान किया गया था, जो केप कोमोरिन के दक्षिण में अवस्थित है।

मात्र ब्लॉक आवंटित होने से ही विजेताओं को अन्वेषण गतिविधियां शुरू करने का अधिकार नहीँ मिल जाता। पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अन्वेषण गतिविधियाँ पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 (संशोधित) के तहत उचित मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही शुरू की जा सकती हैं। ईआईए प्रक्रिया जो 12 नॉटिकल माइल तक के अपटीय क्षेत्र तक विस्तारित होता है, में वैज्ञानिक मूल्यांकन, आवश्यक तटीय विनियामक क्षेत्र मंजूरी (राज्य प्राधिकारी)/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से मंजूरी शामिल है। पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ये मंजूरियाँ/अनुपालन प्राप्त होने के बाद ही, स्थल पर सभी अधिदेशित सुरक्षापायों के साथ वेधन संबंधी प्रचालन शुरू कर सकती हैं।

यह प्रचालन ढाँचा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और जिम्मेदार अन्वेषण गतिविधियों के माध्यम से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को आगे बढ़ाने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

*****